

फार्मेट सी-7

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट्याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :- भारतीय जनता पार्टी

*निर्वाचन का नाम :- 19 लोकसभा भोपाल

राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम :- मध्यप्रदेश

- (1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- 19-भोपाल लोकसभा
अभ्यर्थी का नाम :- श्री आलोक शर्मा

क्र. सं.			
1.	आपराधिक पूर्व वृत्त		
	क.	अपराधों की प्रकृति	असंज्ञेय
	ख.	मामला संख्या	1 आर.सी.टी.7999/2023 2 आर.सी.टी.11703/2023 3 यूएनसीआर 6/2023 4 आर.सी.टी. 2692/2019
	ग.	न्यायालय का नाम	1 जे.एम.एफ.सी. भोपाल 2 जे.एम.एफ.सी. भोपाल 3 जे.एम.एफ.सी. मूंगावली जिला अशोक नगर 4 जे.एम.एफ.सी. भोपाल
	घ.	क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं (हां/नहीं)	1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हां
	ड.	दोष सिद्धी की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च.	भुगती गई सजा का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
2.	अभ्यर्थी के चयन का कारण चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)		उच्च शिक्षित होने एवं पूर्व महापौर होने के कारण सामाजिक छवि उत्तम होने, जनसाधारण की समस्याओं में उनके साथ खड़े होने एवं जनता में

		स्वच्छ छवि होने के कारण उनका चयन किया गया है।
3.	यह कारण बताएं कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)	पार्टी की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक भरोसेमंद व्यक्तित्व, जिन्होंने महापोर रहते हुए कई विकास कार्य किए जिनमें से कई योजनाएं वर्तमान में भी प्रगतिशील हैं। क्षेत्रीय जनमानस, एवं कार्यकर्ताओं के बीच कुशल नेतृत्व एवं लोकप्रिय होने की वजह से पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित किया गया है।


(भगवानदास सबनानी)

विधायक

प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी
भारतीय जनता पार्टी,
मध्य प्रदेश